FO[illegible] III

प[illegible]म

(नियम 26)

[रा]ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

- सूरजमल पुत्र भैंरू, आयु 72 साल जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अरांई जिला अजमेर राज. । –प्रार्थी

बनाम

- सूरज्ञान पत्नि रामधन जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य। –अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1956

नंबर 36/2024

ऑनलाइन नंबर 2024/ ....

वकील प्रार्थी :– कुश कुमार **वकील अप्रार्थीगण....................**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.05.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री कुश कुमार ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.06.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
21/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। ...तलबी...हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते.........तलबी.........हेतु दिनांक 1.2.7.24. को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
	12/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार......... दिनांक 23/8/24.. को पेश हो।	
23/8/24	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगणों के [illegible] प्राप्त [illegible] तहसीलदार अरांई द्वारा जवाब पेश [illegible] [illegible] पत्रावली दि. 27/9/24 को पेश हो।	

नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए		
	20/8/25	पत्रावली [illegible] वकील पक्षकारण उप.। बहस हेतु। पत्रावली दिनांक 29/8/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई
	29/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित। P.O. [illegible] /राजकार्य/[illegible]/अवकाश पर रहा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/9/25 को पेश हो।
	19/9/25 Leave	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 10/10/25 को पेश हो।
	10/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 17/10/25 को पेश हो।
	17/10/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप.। दि. 28/8/25 से 1-82 की एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वास्ते TDR रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 7/11/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई
	7/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप.। वास्ते बहस हेतु TDR रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 28/11/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई
	28/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.। वास्ते TDR रिपोर्ट व बहस हेतु दिनांक 16/1/26 को पेश हो।
	16/1/26	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2024

सुरजमल पुत्र श्री भैरु, आयु– 72 वर्ष लगभग, जाति बेरवा, निवासी ग्राम देवपुरी, तहसील– अंराई, जिला अजमेर (राज०)

बनाम

1. सुरज्ञान पत्नि रामधन जाति जाट
2. करतार दत्तक पुत्र रामनाथ, जाति जाट
3. छगना पुत्र रंगलाल, जाति जाट
4. भवाना पुत्र मूला जाति जाट
5. मनराज देवी पत्नि प्रधान चौधरी जाति जाट
6. रोडू पुत्र गोदू जाति जाट
7. आचुकी पुत्री छोगा जाति गुर्जर
8. छोटी देवी पुत्री भंवरलाल जाति गुर्जर
9. टमली देवी पुत्री भंवरलाल जाति गुर्जर
10. देवाराम पुत्र हेमराज जाति गुर्जर
11. नन्दू पत्नि भंवरलाल जाति गुर्जर
12. पप्पू पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर
13. नन्दा पुत्र रामकरण जाति गुर्जर
14. जयराम पुत्र रामकरण जाति गुर्जर
15. नन्दा पुत्र लाडा जाति गुर्जर
16. नारायणा पुत्र लाडा जाति गुर्जर
17. वासुदेव पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर
18. पांचू पुत्र श्योराम जाति गुर्जर
19. सुजान पुत्र श्योराम जाति गुर्जर
20 सपुर पुत्री भंवरलाल जाति गुर्जर
21. सरजू देवी पुत्री भंवरलाल जाति गुर्जर
22 सायर देवी पुत्री भंवरलाल जाति गुर्जर
23. रोडू पुत्र छोटू जाति बलाई

सर्वनिवासी ग्राम देवपुरी, तहसील अंराई, जिला अजमेर (राज०)

24. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा प्रबंधक बरना
25. बैंक ऑफ बडौदा, जरिये शाखा प्रबंधक कटसूरा
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, अंराई

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक

वकील वादी श्री कुश कुमार राठौड एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री कुश कुमार राठौड एडवोकेट .द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि राजस्व ग्राम–देवपुरी, पटवार हल्का क्षेत्र देवपुरी, भू० अभि० नि० क्षेत्र दादिया, तहसील– अंराई, जिला–अजमेर में अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर जमाबन्दी सम्वत् 2076 के अनुसार खसरा संख्या 955/372 है एवं जिसका रकबा 1.6180 हैक्टेयर है। प्रार्थी की खातेदारी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर के खेत से लगती हुई सीमाओं के खेत के खसरा नम्बर क्रमशः 371, 372, 373, 374, 943/372 व 954/372 है जिनके खातेदारो को इस प्रार्थना पत्र में बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 23 एवं उनके परिवारजन अक्सर सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है ओर प्रार्थी की सीव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है। प्रार्थी को इस बात का पूर्ण अंदेशा है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की अनुपस्थिति

Wp

में उसकी जमीन पर नाजायज रुप से कब्जा करने की नियत रखते है तथा प्रार्थी ने जब जब अपनी आराजी की सुरक्षा करने बाबत् उसमें सुधार करने का प्रयास किया है तब तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को सीमा संबधी विवाद होने के कारण रोका है।प्रार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर के सीमा ज्ञान हेतु तहसीलदार महोदय, किशनगढ़ के यहा आवेदन किया जिस पर तहसीलदार महोदय, किशनगढ ने आदेश क्रमांक 06 दिनांक 11.05.2016 को सीमाज्ञान के आदेश प्रदान किये, जिसके अनुसरण में पटवारी देवपुरी के द्वारा दिनांक 08.07.2016 को सीमाज्ञान कर प्रार्थी को उसकी सीमाओ से अप्रार्थीगण की मौजूदगी में अवगत करवाया। प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर पर सीमाज्ञान के पश्चात् से ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 23 आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है ओर प्रार्थी की सीव उखाडने पर आमादा हो जाते है ओर दिनांक 08.07.2016 को हुये सीमाज्ञान को भी मानने से इंकार करते रहते है। दिनांक 20.04.2024 को अपनी फसल आदि की जगंली जानवरो से सुरक्षा करने के लिए उपाय करने का प्रयास किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को सीमा सबंधी विवाद करके रोका और दिनांक 08.07.2016 के सीमाज्ञान को मानने से इंकार कर दिया जिससे सीमा संबधी विवाद उत्पन्न हो गया है। भूमि के नजरी नक्शा /राजस्व ट्रेस / जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया है ।

प्रकरण दिनांक 29.5.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । दिनांक 17.10.2025 को बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी 1 से 23 का जवाब बन्द कर एकपक्षीय कार्यवाही की गई । दिनांक 16.1.2026 को बहस सुनी गई ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। :पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी तह0 अराई के खसरा नं0 955/372 रकबा 1.6180 हैक्टेयर, का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.1.26 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)